

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLY & CONSUMER AFFAIRS  
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI.

No. F.3 (11)/DLA/F&S/P&C/2019/824

Dated: 22.08.2019

To,

✓ The Dy.Secretary,( Question Branch)  
Delhi Legislative Assembly  
Old Secretariat, Delhi- 110054.

Sub:- Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No. 96 asked by  
Sh. Manjinder Singh Sirsa, MLA due for answer on 23.08.2019.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100  
copies of reply of the above question duly authenticated by the Competent Authority.

Encl:- As above.

Yours faithfully

sd -  
(DESHRAJ SINGH)  
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

No. F.3 (11)/DLA/F&S/P&C/2019/  
Copy forwarded to :-

Dated.

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT  
of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above  
referred DLA Starred question of distribution of the House.

DST 22-8-19  
(DESHRAJ SINGH)  
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,  
खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग,  
के. ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 96

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में राशन माफिया के कारण क्षेत्रवासियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है;	जब भी किसी उचित दर दुकान की शिकायत आती है, उस पर तथ्यों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाती है और समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है ।
(ख) क्या यह भी सत्य है कि राशन माफिया के कारण दुकानदारों द्वारा कार्ड धारकों से दुर्व्यवहार किए जाने, निर्धारित मात्रा से कम राशन दिए जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं;	उपरोक्त क अनुसार ।
(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस तरह के माफियाओं के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है;	उपरोक्तानुसार ।
(घ) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है; और	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015, तथा दिल्ली सरकार के नियंत्रण आदेश, 1981 के प्रावधानों के अनुसार नीति लागू है ।
(ङ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?	उपरोक्त घ अनुसार ।

*DS*  
22.8.19  
Asstt. Commissioner  
Department of Food Supplies & Consumer Affairs  
Govt. of NCT of Delhi  
K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002